

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 165/2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9.11.2022	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कारवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>8.12.2022</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8.12.2022	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म <u>प-2/अम,सह</u>) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>प. 2/5</u> धाना नं० <u>2-18</u> खाता सं० <u>38</u> प्लॉट सं० <u>30</u> रकबा <u>1.50</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>प-2/अम,सह</u> अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं० <u>1</u> के पृष्ठ सं० <u>118</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्रीमती. यमश्री</u> <u>पिता श्रीमती</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं	

उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.2022 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में झारखण्ड गृह मंत्रालय के द्वारा फिल्टर

क्र. 1654.83/15010, रबी 6248-2011-12

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा...

मौजा नं० 298 खाता सं०-38 प्लॉट सं०-23

रकबा 1.50 (50) किस्म गेहूँ खतियान के अनुसार गैरमजरुआ मालिक खाते

की भूमि है। मांगधारी रैयत/ वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व

कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि उक्त प्लॉट का किस्म फाल्गुनी दर्ज है, अतः

जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार...

समाहर्ता मोती लाल गुप्त मोती के नाम से पंजी-11 में कायम

जमाबंदी सं० 1161/1 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार

पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम

जमाबंदी सं० 1161/1 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप

समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

**सादगंध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला
चेक-लिस्ट**

1. जिला एवं अंचल का नाम - पन्ना / इंदौर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
रामदास मोन्ही	पन्ना	-	38	23	1.50	गैर भूजला	जंगल
पिता बूरा मोन्ही					एक	मालिक	शाही

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- पत्ती

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- मौज पंजी-II में जमाबंदी
कर दी नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले
कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों
के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार
तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में
संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

मौज पंजी II में जमाबंदी
कर दी नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी
के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी

:- N/A

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(क) अनिवंधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष
(वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :- भूदान 24/1/1954
5/1/1954 5/1/1954 165483
15010

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा
में अंकित मूल्य 100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :-

ਮੰਮ ਪਿਤੀ-੧੧
੬੧

● **Question 7**

—

॥ १॥

०१२१०

ਮਾਈ

०१६१०

:- પ્રતિવેદિત શ્રુતિ ૩

तेवेदन :-

1. $\frac{1}{2}$

अनुमण्डल पदा.,
छत्तरपुर ।

उपायुक्त,
पलामू।

संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. सदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- यह खान मोची पिता-बूय मोची
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं. 11 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
<u>यता</u>	<u>298</u>	<u>38</u>	<u>23</u>	<u>1.50 अक्षर</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- मौजा पंजी-II में जमाबंदी 51 वर्ष पूर्व की गई है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- श्रीमजिद शाह मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- मौजा पंजी-II में सक्षम प्राधिकारी 51 वर्ष पूर्व की गई है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भू-बंदाबस्ती) :- श्रीमजिद शाह मालिक द्वारा जमाबंदी कायम की गई है।
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न/ बंदोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

मौजा पंजी-II में

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>01</u>	<u>050808</u>	<u>02/07/2016</u>	<u>2016-17</u>

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० 165 / 2016-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

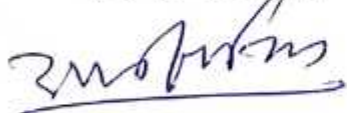
बनाम रामदेव मोरी सूचना

पिता - गुरुदेव मोरी

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा 165/17 थाना नं० 298 खाता सं० 35 खेसरा नं० 30 रकबा 150 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० 1 के पंजी-II भाग A के पृष्ठ 11 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी जायेगी।



इसे सख्त ताकिद जाने।





अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

Mo, 9304481840

24/12/22